भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1065
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

## कर्नाटक में ग्राम न्यायालयें

**1065 श्री के. सी. राममूर्ति :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में अधिसूचित दो ग्राम न्यायालयों (जीएन) का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपर्युक्त ग्राम न्यायालयों के संचालन में क्या बाधाएं आ रही हैं ;

(ग) सरकार द्वारा उपुर्यक्त ग्राम न्यायालयों को संचालित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) इस संबंध में कर्नाटक राज्य को क्या वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान की गई है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री**
**( श्री किरेन रीजीजू )**

**(क) से (घ) :** उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर्नाटक राज्य सरकार ने तारीख 25.09.2010 को कर्नाटक राज्य के चिक्काब्लापुरा जिले के गौरीबिंदनूर तालुका के होसुर और चिक्काब्लापुरा तालुका के मेंदीकल में दो ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए थे । इन दोनों ग्राम न्यायालयों ने तारीख 13.03.2020 से कार्य करना प्रारंभ किया था । कर्नाटक राज्य सरकार को स्कीम के अधीन दो ग्राम न्यायालयों की स्थापना और प्रचालन के लिए अभी तक 25.20 लाख रूपये की रकम जारी की जा चुकी है ।

**************